निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06 /2020	07.9.2020	04.2..2021

श्रीमति जगनीदेवी पत्नि मिश्रीलाल उम्र 67 साल जाति बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

--सायला

बनाम

1.छोटूराम पुत्र काल्या उम्र 62 साल जाति बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर ।

2.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

--गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट0

उपस्थित :- श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट सायला की और से

निर्णय

सायला ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि गैर सायल सं0 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 5540/2982 रकबा 0.50 हैक्टर कस्बा वजीरपुर में स्थित है जिसमें गैरसायल संख्या 1 द्वारा 0.05 हैक्टर भूमि सायला को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 27.9.2013 को दान कर दी तथा मौके पर सायला को कब्जा संभलवा दिया सायला उसी समय से उक्त भूमि पर लगातार काबिज है। उक्त भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है। कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी सायला के पक्ष में नामान्तकरण नही खोला गया है। तहसीलदार जी ने दिनांक 28.5.2018 को पटवारी हल्का को सायला के हक में उक्त 0.05 है0 भूमि रिकार्ड में अमल के लिए लिखा गया है अब भूमि की कीमतें बढ़ जाने के कारण गैर सायल संख्या 1 की नीयत खराब हो गई है। गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि को दीगर जगह विक्रय करने पर आमदा है तथा उसने दिनांक 12.8.2020 को धमकी दी कि वह सायला को कब्जे से बेदखल कर अन्य लोगों को विक्रय करेगा सायला ने उक्त भूमि में जमीन लेवल से 4 फिट उंची दिवार बना रखी है।गैर सायल ने सायला का रास्ता भी बन्द करने की धमकी दी है इसलिए गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की वह उक्त विवादित भूमि से सायला को बेदखल नही करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किये गये ।गैर सायलान बावजूद तामील उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076–79 की फोटोप्रति पेश की है एंव दानपत्र की फोटोप्रति पेश की है।

बहस वकील सायला सुनी गई। सायला के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया है तथा अपने दस्तावेज से प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है।

पत्रावली का अवलोकल किया गया एवं बहस वकील सायला पर मनन किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का समर्थन जमाबंदी संवत् 2076–79 एवं फोटोप्रति रजिस्टर्ड दानपत्र से होता है एसी स्थिति में विवादित भूमि के संदर्भ में पक्षकारान में आगे कोई विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रकरण में वाद की बहुलता का कारण उत्पन्न न हो इसलिए प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का स्वीकार जाता है कि गैरसायलान विवादित भूमि खसरा नं0 5540/2982 रकबा 0.50 हैक्टर ग्राम वजीरपुर में से 0.05 हैक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शें में पीले रंग से दर्शाया गया है की ताफैसला दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.2.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सत्यमेव जयते, वजीरपुर (स०मा०)

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर